रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 16—सितम्बर 22, 2006 (भाद्रपद 25, 1928)

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 16—SEPTEMBER 22, 2006 (BHADRA 25, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 799

भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 875

भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 9

भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1265

भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *

भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *

भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *

भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश *

भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 2365

भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 521

भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं *

भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 6983

भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 613

भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 799

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and

by the Supreme Court 875

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . 9

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 1265

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 2365

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 521

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . —

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 6983

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 613

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . . *

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2006

सं. 92-प्रेज/2006--राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों और कार्मिकों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री कमल कुमार अग्रवाल
फायर स्टेशन अधिकारी

श्री शिव दरस प्रसाद
फायर स्टेशन अधिकारी द्वितीय

श्री अरविन्द कुमार त्यागी
लीडिंग फायरमैन

श्री बैकुण्ठ नाथ शर्मा
फायरमैन

श्री बिजेन्द्र कुमार
फायरमेन

श्री राम बाबू
फायर सर्विस ड्राईवर

दिनांक 04.10.2004 को लगभग प्रात: 09.40 बजे उत्तर प्रदेश के मेरठ में कमालपुर, स्थित मुद्रा कोल्ड स्टोरेज के संयंत्र से अमोनिया गैस रिसाव होने की सूचना मिलने पर फायर स्टेशन अधिकारी श्री कमल कुमार अग्रवाल अपने दल, जिसमें श्री शिव दरस प्रसाद, फायर स्टेशन अधिकारी द्वितीय, अरविन्द कुमार त्यागी, लीडिंग फायरमैन, बैकुण्ठ नाथ शर्मा, फायरमैन, बिजेन्द्र कुमार, फायरमैन और राम बाबू, फायर सर्विस ड्राईवर शामिल थे, के साथ घटनास्थल की ओर निकल पड़े। घटनास्थल पर पहुंच कर उन्होंने देखा कि अमोनिया गैस के घने बादल ने पूरे क्षेत्र को ढक रखा था जिससे सभी देखने वालों और निकटवर्ती आबादी का दम घुट रहा था। यह सूचना दी गई कि फैक्ट्री के दो कर्मचारी संयंत्र के अंदर फंसे हुए हैं और वे बेहोश पड़े हुए हैं।

कोई सुरक्षात्मक उपकरण और मास्क न होने के बावजूद श्री अग्रवाल और उनके दल ने बिना समय गंवाए, गैस से भरे खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश किया ओर केवल पानी का छिड़काव करते हुए और इस प्रकार से गैस के घनत्व को कम करते हुए, अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना, अन्दर फंसे दो बेहोश व्यक्तियों को बचा लाए, हालांकि इस समय वे स्वयं भी श्वासावरोध और आंखों में जलन से पीड़ित हो गए जिस कारण से, बाद में उन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा।

इस घटना में सर्वश्री कमल कुमार अग्रवाल, फायर स्टेशन अधिकारी शिव दरस प्रसाद, फायर स्टेशन अधिकारी द्वितीय, अरविन्द कुमार त्यागी, लीडिंग फायरमैन, बैकुण्ठ नाथ शर्मा, फायरमैन, बिजेन्द्र कुमार, फायरमैन और राम बाबू, फायर सर्विस ड्राइवर ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना नागरिकों की जान एवं माल की सुरक्षा के लिए अद्वितीय सूझ-बूझ, उत्कृष्ठ वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शामिल करने वाले नियमों के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं अतएव, नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 04.10.2004 से इसके साथ देय होगा।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं. 93-प्रेज/2006--राष्ट्रपति, मणिपुर अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री तोम्बा सिंह अथोकपम
सब ऑफिसर

श्री इबोमचा सिंह मोईरांथेम
फायरमैन

श्री ईबोतामबि सिंह ताखेलामबाम
फायरमैन

दिनांक 17.07.2005 को लगभग 04.33 बजे इम्फाल के पावना बाजार इलाके में एक चार मंजिले अपार्टमेंट के भवन में भयंकर आग लगने की सूचना प्राप्त होने पर, मणिपुर अग्निशमन दल के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में अग्निशमन दल घटनास्थल की ओर तत्काल रवाना हुआ। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूरा भवन आग की ऊंची-ऊंची लपटों से घिरा हुआ था और अपार्टमेंट में फंसे हुए सभी लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे तथा भवन का मुख्य द्वार पूरी तरह से आग की लपेट में था। जलते हुए भवन से घना धुंआ और जहरीली गैसें निकल रही थी। जिसके कारण ठीक प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा था। एक त्वरित सर्वेक्षण के बाद अग्निशमन एवं

राहत दल, जिसमें श्री तोम्बा सिंह अथोकपम, सब ऑफिसर, श्री इबोमचा सिंह मोईरांथेम, फायरमैन और श्री ईबोतोमबि सिंह ताखेलामबाम, फायरमैन शामिल थे, ने आग की लपटों के बीच दरबाजे को तोड़ दिया और अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी सुरक्षा उपकरणों के बिना भवन में प्रवेश किया और विभिन्न तलों से लगभग 9 व्यक्तियों को बचाया।

सर्वश्री तोम्बा सिंह अथोकपम, सब ऑफिसर, इबोमचा सिंह मोईरांथेम, फायरमैन और ईबोतोमबि सिंह ताखेलामबाम, फायरमैन ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यावसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(i) के तहत प्रदान किया जाता है अतएव, नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 17.07.2005 से इसके साथ देय होगा।

बरूणा मित्रा
निदेशक

सं. 94-प्रेज/2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री सुधीर कुमार विस्वाल

फायरमैन-1375

उड़ीसा

दिनांक 12.06.2005 को लगभग 0035 बजे, बचाव कॉल प्राप्त होने पर श्री सुधीर कुमार विस्वाल, ढेनकनाल फायर स्टेशन के फायरमैन-1375 अपेन दल के साथ सिमिनई पहुंचे और देखा कि एक आदमी नशे की स्थिति में एक बहुत गहरे परित्यक्त सूखे कुएं में गिरा हुआ है जिसमें बहुत ही जहरीले सांप थे, श्री सुधीर कुमार विस्वाल, फायरमैन अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर रस्सी के सहारे से कुएं के अंदर गए और अपने दल के सदस्यों, जिन्होंने धीरे-धीरे उन दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला, की सहायता से पीड़ित व्यक्ति को बचा लिया।

इस प्रकार, श्री सुधीर कुमार विस्वाल, फायरमेन ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक विशेषज्ञता और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक, पुरस्कारों को शासित करने वाले नियमों के नियम (i) के तहत दिया जाता है अतएव, नियम 5(क) के तहत अनुमेय भत्ता दिनांक 12.06.2005 से देय होगा।

बरूणा मित्रा
निदेशक

सं. 95-प्रेज/2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री सतिश चन्द्र बेहेरा
फायरमैन-1399
उड़ीसा

दिनांक 29.9.2005 को लगभग 11.45 बजे एस.डी.ओ. टेलीफोन, उड़ाला ने स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को सूचित किया कि श्रीमती सुशान्ति मुरमु नाम की एक महिला 80 मीटर ऊँचे बी.एस.एन.एल. टावर के शिखर पर चढ़ गई है और वहां से वह धमकी दे रही थी कि यदि सरकार ने पुनर्वास की उसकी मांग नहीं मानी तो वह वहां से नीचे कुदकर आत्महत्या कर लेगी। फायरमैन सतिश चन्द्र बेहेरा सहित अग्निशमन सेवा दल तत्काल उस स्थल की ओर रवाना हुआ और वहां जाकर देखा कि बी.एस.एन.एल. टावर में एक सीधी सीढ़ी है, जिसमें पैर रखने के लिए बीच में केवल दो प्लेटें हैं। सीढी पर टेलीफोन केबलों के जाल ने खतरे को और बढ़ा दिया था। श्री सतिश चन्द्र बेहेरा, फायरमैन अदम्य साहस और सूझ-बूझ के साथ धीरे-धीरे टावर पर चढ़े और श्रीमती सुशान्ति मुरमु को मानसिक रूप से तेयार किया और इस प्रकार से उसका विश्वास जिता और अन्ततः उस महिला को शांति रखने के लिए राजी कर लिया और अन्त में श्रीमती सुशन्ति मुरमु को बिना किसी चोट के नीचे जमीन पर लाने में सफल हुए और इस तरह उसके जीवन की रक्षा की।

इस प्रकार से श्री सतिश चन्द्र बेहेरा, फायरमैन ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यावसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमो के नियम 3(i) के तहत प्रदान किया जाता है अतएव, नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 29.9.2005 से इसके साथ देय है।

बरूण मित्रा
निदेशक

सं. 96-प्रेज/2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

श्री मुथइया अय्यरसामी
प्रभागीय अधिकारी
तमिलनाडु

दिनांक 26.12.2004 को जब सुनामी की भीमकाय लहरों ने तमिलनाडु में नागापट्टनम के तटीय कस्बों पर टक्कर मारी तो श्री मुथइया अय्यरसामी, प्रभागीय अधिकारी ने अपने सहयोगियों के साथ तत्काल सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों की ओर कूच किया और उन्होंने मकानों के मलबे के नीचे दबे 9 बच्चों को और लहरों के थपेड़ों से प्रभावित दूसरे क्षेत्रों से अन्य 110 पीड़ितों को बचाया। आपने अपनी वैयक्तिक सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने दल के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में 75 शवों को भी निकाला।

इस प्रकार से श्री मुथइया अय्यरसामी, प्रभागीय अधिकारी ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यावसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार,वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(i) के तहत प्रदान किया जाता है अतएव,

नियम 5(क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 26.12.2004 से इसके साथ देय है।

बरूण मित्रा
निदेशक

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 अगस्त 2006

सं. एम-13011/1/96-प्रशा.-IV--दिनांक 1.6.2005 के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग गठित होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की शासी परिषद् द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों को ग्रहण कर लिया है। रा. प्र. सर्वे. सं. की शासी परिषद का गठन संकल्प संख्या डीएस/एसटीएस/4-69 दिनांक 5.3.1970 तथा उत्तरवर्ती संशोधनों के तहत किया गया था। सरकार ने इस संकल्प की तिथि से रा.प्र. सर्वे.सं. की उक्त शासी परिषद को भंग करने का निर्णय लिया है।

यशोधरा विजयन
अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 अगस्त 2006

सं. ई.-11015/3/2005-हि.ए.--भारत सरकार ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन और कार्य इत्यादि निम्नलिखित होंगे :--

गठन

1. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री -- अध्यक्ष

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

2. श्री हेमलाल मुरमू, सांसद (लोक सभा) -- सदस्य
3. श्री कैलाश बैठा, सांसद (लोक सभा) -- सदस्य
4. श्री नन्दी येलैया, सांसद (राज्य सभा) -- सदस्य
5. श्री राज कुमार धूत, सांसद (राज्य सभा) -- सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य

6. श्री जय प्रकाश, संसद सदस्य (लोक सभा) -- सदय
7. श्री गांधी आजाद, संसद सदस्य (राज्य सभा) -- सदस्य

प्रतिनिधि केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्

8. श्री मोहन प्रकाश दुबे, सहायक अभियंता/ महामंत्री केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली। 25/5, सेक्टर-1, पुष्प विहार नई दिल्ली-110017 दूरभाष : 29564352. -- सदस्य

अखिल भारतीय हिन्दी संस्था/संघ से प्रतिनिधि

9. श्री जय राम फगरे 59 'सुविधा' अध्यापक वसाहत, सहकार नगर, नंबर-1 पुणे, महाराष्ट्र, पिन-411009 फोन 020-24223489 -- सदस्य

मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

10. के. एन. त्रिपाठी, चित्रलेखा भवन, काशी नगर, रेड मा, डाल्टनगंज, पलामू, झारखंड-8221010 दूरभाष: 06562-223341 -- सदस्य
11. श्री कमलेश्वर, 116, ब्लाक-5, ईरोज गार्डन, सूरजकुण्ड रोड, दिल्ली हरियाणा बार्डर, दूरभाष-95129-2512116. -- सदस्य
12. श्री मणि शंकर पाण्डेय, बी-21/117, महावीर कालोनी, कामाखा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश दूरभाष नं. 0933691126 -- सदस्य
13. श्री सुरेश गुप्ता, 725, सेक्टर-4, एस. बी. सी., करनाल, हरियाणा -- सदस्य

राजभाषा विभाग द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

14. डॉ. सुदेश चंद्र बियाला 'सृजन', 141-पंडितवाड़ी, वसंत विहार के निकट, देहरादून, उत्तरांचल -- सदस्य
15. श्री राजेश जैन, 1403, गोदावरी बिल्डिंग, सर पोचखनवाला रोड, वरली, मुंबई-18 -- सदस्य
16. श्री शादाब शब्बीर पटेल, 601 शब्बरी अपार्टमेंट, 40 शेरली रोड, बान्द्रा (पश्चिम), मुंबई-400050 -- सदस्य

अधिकारी राजभाषा विभाग

17. सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार लोकनायक भवन, खान मार्किट नई दिल्ली -- सदस्य

18. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट नई दिल्ली -- सदस्य

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के सदस्य

19. सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय -- सदस्य
20. संयुक्त सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय -- सदस्य
21. संयुक्त सचिव (युवा कार्य/प्रशासन/हिन्दी), सुवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय -- सदस्य सचिव
22. महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली-110003 -- सदस्य
23. महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, इंदिरा गांधी इण्डोर स्टेडियम, नई दिल्ली-110002 -- सदस्य
24. कुलपति, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, (समकक्ष विश्वविद्यालय), शक्ति नगर, गवालियर। -- सदस्य
25. कार्यक्रम सलाहकार, राष्ट्रीय सेवा योजना शास्त्री भवन, नई दिल्ली। -- सदस्य
26. निदेशक राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, भीमानथांगल श्रीपेरम्बटूर (तमिलनाडु) -- सदस्य

समिति का कार्य

समिति का मुख्य कार्य युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियमों के उपबंधों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीतिगत निर्णयों और निर्देशों तथा राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन के बारे में मंत्रालय तथा उसके नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्तशासी निकायों को सलाह देना है।

कार्यकाल

समिति का कार्यकाल सामान्यत: इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा, बशर्ते कि :--

(क) समिति के नामजद संसद की सदस्यता उनके संसद सदस्य न रहने पर समाप्त हो जाएगी।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य रहेंगे जब तक वह उस पद पर बने रहते हैं, जिसके कारण वे इस समिति के सदस्य हैं।

(ग) किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि से यदि कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो इस रिक्ति में नियुक्त सदस्य तीन वर्ष की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

सामान्य

(1) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा।

यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निदेशक, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व और इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी निकायों/अधीनस्थ कार्यालयों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शैलेश
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 2006

सं. एफ. 9-21/2005-यू.3 (ए)--

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एमजीएम इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साईंसिज़, नवी मुम्बई जिसमें (i) महात्मा गांधी मिशन्स मेडिकल कालेज, नवी मुम्बई, (महाराष्ट्र) और (ii) महात्मा गांधी मिशन्स मेडिकल कालेज, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) शामिल हैं, को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी तौर पर पांच वर्ष की अवधि के लिए समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है। एमजीएम इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साईंसिज़, नवी मुम्बई को समविश्वविद्यालय का दर्जा उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से यह महात्मा गांधी मिशन्स मेडिकल कालेज, नवी मुम्बई को उसके अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक से तथा उसके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए मुम्बई विश्वविद्यालय से असम्बद्ध कर लेता है और महात्मा गांधी मिशन्स मेडिकल कालेज, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) को उसके अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक से तथा उसके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए डा0 बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद से असम्बद्ध कर लेता है जोकि इस अधिसूचना के पृष्ठांकन संख्या 7 में वर्णित शर्तों के अधीन होगा। यह अधिसूचना इस शर्त के भी अधीन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त एक समीक्षा समिति एमजीएम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साईंसिज, नवी मुम्बई की उपरोक्त अवधि के बाद समीक्षा करेगी।

2. भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एमजीएम इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साईंसिज़, नवी मुम्बई या इसके किसी संघटक संस्थाओं को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान उपलब्ध नहीं करायेंगे।

सुनील कुमार
संयुक्त सचिव

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 2006

संकल्प

विषयः– "प्रारंभिक शिक्षा कोष" का गठन

I. "प्रारंभिक शिक्षा कोष" की पृष्ठभूमि

सं. 1-11/2004-ईई-4—

13 दिसम्बर 2002 को अधिसूचित संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत "6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने संबंधी प्रावधान", जो अब तक राज्य का नीति-निर्देशक सिद्धांत था, को अब मौलिक अधिकार बनाए जाने का मंतव्य है।

उक्त संशोधित अधिनियम द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ संविधान के भाग III ["मौलिक अधिकार"] में निम्नलिखित नए अनुच्छेद 21-ए को शामिल किये जाने का मंतव्य हैः–

"21-ए शिक्षा का अधिकार

"राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा इस ढंग से प्रदान करेगा जैसा राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे।"

2. जैसी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986(1992 में यथासंशोधित) और राष्ट्रीय कार्य योजना 1992 में परिकल्पना की गई है, संविधान संशोधन में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का स्पष्ट रूप से अधिदेश दिया गया है। इस सर्वसुलभीकरण के प्रमुख वाहक सर्व शिक्षा अभियान और प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम [मध्याह्न भोजन योजना] हैं।

3. प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के कार्यक्रमों के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध योजनागत संसाधनों और अनुमानित आवश्यकताओं के बीच के अंतराल को पाटने के लिए वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 (दिनांक 8.7.2004) द्वारा आयकर, उत्पाद

शुल्क, सीमा शुल्क और सेवाकर पर 2% की दर से शिक्षा उपकर लगाया गया ताकि ''गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ बुनियादी शिक्षा प्रदान करने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।''

4. सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक अव्यपगत निधि के निम्नवत रूप से सृजन का निर्णय किया है:-

- संवैधानिक दायित्व के मामले के रूप में प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वार्षिक योजनागत आबंटन आवश्यकता आधारित हो।
- प्रारंभिक शिक्षा कोष का सृजन भारत के लोक-लेखा में किया जाएगा तथा शिक्षा उपकर से होने वाली समूची आय को यथासम्भव न्यूनतम समय-अवधि में जमा किया जाएगा।
- प्रारंभिक शिक्षा कोष के लेखे का रखरखाव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में पुनर्नामित) द्वारा किया जाएगा तथा इस लेखे में उपलब्ध राशि अव्यपगत होगी।
- शिक्षा उपकर से होने वाली आय, जिसे प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा किया जाएगा को निम्नलिखित पर खर्च किया जाएगा:-

    1. सर्व शिक्षा अभियान और
    2. मध्याह्न भोजन योजना

    किसी भी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ में इन योजनाओं पर व्यय योजनागत आबंटन के अन्य बजटीय संसाधन घटक से किया जाएगा तथा अन्य बजटीय संसाधन आबंटन के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा कोष से व्यय किया जाएगा।

    सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि प्रारंभिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना) से सम्बद्ध पूर्वोत्तर राज्यों की बचतों को संसाधनों के अव्यपगत केंद्रीय पूल में जमा किया जाएगा जो सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना पर व्यय किए जाने के लिए उद्दिष्ट होगा।

II. प्रारंभिक शिक्षा कोष का सृजन

5. प्रारंभिक शिक्षा कोष के गठन के लिए भूतपूर्व प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने फाइल सं. 1-11/2004-ई.ई.-4 के तहत दिनांक 14 नवम्बर, 2005 को एक आदेश जारी किया था।

6. नए सृजित प्रारंभिक शिक्षा कोष में 8746 करोड़ रू. की राशि को शिक्षा उपकर की अनुमानित प्राप्तियों में से वर्ष 2006-07 के केंद्रीय बजट में अन्तरित किए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक वर्ष सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजनाओं के लिए कुल बजटीय सहायता के माध्यम से प्रदत्त निधियों के समाप्त होने के बाद इन योजनाओं पर अनुवर्ती व्यय प्रारंभिक शिक्षा कोष से किया जाएगा। वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान में क्रमशः 5831 करोड़ रू. (सर्व शिक्षा अभियान) तथा 2915 करोड़ रू. (मध्याह्न भोजन योजना) की राशि प्रारंभिक शिक्षा कोष से इस प्रयोजनार्थ प्राप्त किए जाने का प्रावधान किया गया है।

III. प्रारंभिक शिक्षा कोष के तहत निधियों के उपयोग संबंधी शासी सिद्धांत

7. (I) भारत के लोक-लेखा के नॉन-इंटरेस्ट बियरिंग सेक्शन में एक आरक्षित निधि के रूप में प्रारंभिक शिक्षा कोष का अनुरक्षण किया जाएगा। इस लेखा का अनुरक्षण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में पुनर्नामित) द्वारा किया जाएगा और उसमें उपलब्ध राशि अव्यपगत होगी;

(II) अनुदान मांगों के माध्यम से संसद का विधिवत अनुमोदन प्राप्त कर लेने के उपरांत शिक्षा उपकर की सभी प्राप्तियों को प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा किया जाएगा;

(III) प्रारंभिक शिक्षा कोष की राशि का उपयोग (क) सर्व शिक्षा अभियान और (ख) मध्याह्न भोजन योजना के लिए प्रतिवर्ष तब किया जाएगा जब इन दोनों योजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा आवंटित सकल बजटीय सहायता राशि समाप्त हो जाएगी।

IV. भारत की समेकित निधि से प्रारंभिक शिक्षा कोष में निधियों के अंतरण की आवधिकता और रीति

8. (I) शिक्षा उपकर एक कर राजस्व है और इसकी वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 के अनुसरण में 1.10.2004 से उगाही की जा रही है तथा इसे

निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत एक विशिष्ट लुघशीर्ष के तहत सरकारी खाते में जमा किया जा रहा है:-

1. 0020-निगम कर
2. 0021- निगम कर से अलग आय पर कर
3. 0037-सीमा शुल्क
4. 0038-केंद्रीय उत्पाद शुल्क
5. 0044-सेवा कर

"शिक्षा उपकर" की प्राप्तियों को जमा करने के लिए भारत के लोक-लेखा के नॉन-इंटरेस्ट बियरिंग सेक्शन में मुख्य शीर्ष-"8229-विकास एवं कल्याण निधि" के अन्तर्गत एक लघुशीर्ष "127 प्रारंभिक शिक्षा कोष" खोला गया है।

(ii) सरकार द्वारा उगाहे गए और संग्रहित किए गए शिक्षा उपकर को प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक सी.बी.डी.टी. और सी.बी.ई.सी. द्वारा भारत की समेकित निधि में जमा किया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा कोष के लेखा का अनुरक्षण मुख्य लेखा नियंत्रक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, अतएव शिक्षा उपकर की प्राप्तियों के संबंध में सूचना मुख्य लेखा नियंत्रक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सी.बी.डी.टी. और सी.बी.ई.सी. से प्राप्त की जाएगी। इस सूचना द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रारंभिक शिक्षा कोष में शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि को स्थानांतरित करने की सुविधा हेतु प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में पुनर्नामित) के अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों में "मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उप-मुख्य शीर्ष 01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा में अंतरण, उप शीर्ष 01-प्रारंभिक शिक्षा कोष में अंतरण वस्तु शीर्ष 63-अंतः लेखा अंतरण" में उचित बज़ट प्रावधान करने की सुविधा होगी।

(iii) वास्तविक उपकर प्राप्तियों के विरूद्ध परियोजित अनुमानों से संबंधित सूचना के अद्यतनीकरण को भी, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी और सीबीईसी, राजस्व विभाग से सीधे ही मुख्य लेखा नियंत्रक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अभिनिश्चित किया जाएगा।

(iv) भुगतान और लेखा कार्यालय (शिक्षा) उपलब्ध बजट राशि को समय-समय पर

मुख्य शीर्ष 2202---सामान्य शिक्षा

उप मुख्य शीर्ष 01-प्रारंभिक शिक्षा,

लघु शीर्ष 797-आरक्षित निधि/जमा लेखा में अंतरण,

उप शीर्ष 01-प्रारंभिक शिक्षा कोष में अंतरण,

मद शीर्ष 63- अंतः लेखा अंतरण

से

मुख्य शीर्ष 8229--विकास और कल्याण निधि

लघु शीर्ष 127-प्रारंभिक शिक्षा कोष

में वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत पूर्व लेखा शीर्ष के नामे डालकर और बाद वाले को जमा कर अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से बुक समायोजन द्वारा अंतरित करेगा। यह कार्य प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में पुनर्नामित) से आवश्यक प्रशासनिक संस्वीकृति प्राप्त होने पर किया जाएगा।

(v) प्रारंभिक शिक्षा कोष से निधियन के घटक के लिए प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में पुनर्नामित), सर्व शिक्षा अभियान और प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) के लिए संगत प्रकार्यात्मक मुख्य शीर्षों के लिए विस्तृत अनुदान मांगों में आवश्यक बजट प्रावधान करेगा। इस उद्देश्य के लिए संगत प्रकार्यात्मक शीर्षों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क. प्रत्यक्ष जारी की जाने वाली निधियों के लिए:

मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा

उप-मुख्य शीर्ष 01-प्रारंभिक शिक्षा

लघु शीर्ष ।।।-सर्व शिक्षा अभियान

अथवा

लघु शीर्ष 112-प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम

ख. राज्य सरकारों को जारी की जाने वाली निधियों के लिए:

मुख्य शीर्ष 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान

उप मुख्य शीर्ष 04-केंद्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान

लघु शीर्ष 186- प्रारंभिक शिक्षा-सर्व शिक्षा अभियान

अथवा

लघु शीर्ष 187-प्रारंभिक शिक्षा-प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम

ग. विधान मंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की जाने वाली निधियों के लिए:-

मुख्य शीर्ष 3602-संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान

उप मुख्य शीर्ष 04-केंद्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान

लघु शीर्ष 186-प्रारंभिक शिक्षा-सर्व शिक्षा अभियान

अथवा

लघु शीर्ष 187--प्रारंभिक शिक्षा-प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम

(vi) इसी के साथ, प्रारंभिक शिक्षा कोष से अंतिम रूप से ली जाने वाली निधियों के लिए वसूली की कटौती हेतु निम्नलिखित लेखा शीर्षों के तहत अनुदान मांगों में उसके समान बजट प्रावधान भी किया जाएगा:-

क) प्रत्यक्ष रिलीज के विरूद्ध:

मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा

उप मुख्य शीर्ष 01-प्रारंभिक शिक्षा

लघु शीर्ष 906- सर्व शिक्षा अभियान के लिए प्रारंभिक शिक्षा कोष से ली गई राशि की कटौती

अथवा

लघु शीर्ष 907-प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए प्रारंभिक शिक्षा कोष से ली गई राशि की कटौती

ख) राज्य सरकारों को की गई रिलीज के विरूद्ध

मुख्य शीर्ष 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान

उप मुख्य शीर्ष 04-केंद्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान

लघु शीर्ष 906- सर्व शिक्षा अभियान के लिए प्रारंभिक शिक्षा कोष से ली गई राशि की कटौती।

अथवा

लघु शीर्ष 907- प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए प्रारंभिक शिक्षा कोष से वहन की गई राशि की कटौती

ग) विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को जारी की गई राशि में से

मुख्य शीर्ष 3602--संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान।

उप मुख्य शीर्ष 04-केंद्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान

लघु शीर्ष 906- सर्व शिक्षा अभियान के लिए प्रारंभिक शिक्षा कोष से वहन की गई राशि की कटौती।

अथवा

लघु शीर्ष 907- प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए प्रारंभिक शिक्षा कोष से वहन की गई राशि की कटौती।

(vii) प्रकार्यात्मक शीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा कोष से किए गए संपूर्ण व्यय को वार्षिक खातांबंदी से पूर्व उक्त 8(iv) के प्रावधान के अधीन भुगतान और लेखा कार्यालय(शिक्षा) द्वारा तैयार की जाने वाली अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से बही समायोजन कर लघु शीर्ष "906 अथवा 907-प्रारंभिक शिक्षा कोष से ली गई राशि की कटौती" में ऊपर (vi) में उल्लिखित संगत प्रकार्यात्मक शीर्ष, जिसमें व्यय को प्रारंभिक रूप से दर्ज किया गया था, में प्रत्येक ऋणात्मक डेबिट के माध्यम से निम्नलिखित शीर्ष से प्रतिपूर्ति करते हुए भारत के लोक लेखा में समायोजित किया जाएगाः-

मुख्य शीर्ष 8229-विकास एवं कल्याण निधि।
लघु शीर्ष 127-प्रारंभिक शिक्षा कोष।

(viii) प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में पुनर्नामित) भुगतान एवं लेखा अधिकारी (शिक्षा) के साथ उनके द्वारा रखे जाने वाले प्रारंभिक सहायक अभिलेखों के संदर्भ में आवश्यक समाधान के बाद प्रारंभिक शिक्षा कोष से किए गए वास्तविक व्यय की आवश्यक प्रशासनिक संस्वीकृति जारी करेगा। भुगतान एवं लेखा कार्यालय की बही में दर्शाए गए व्यय संबंधी आंकड़े अंतिम होंगे।

(ix) सी.सी.ए., मानव संसाधन विकास के तहत भुगतान एवं लेखा कार्यालय(शिक्षा) प्रारंभिक शिक्षा कोष का विस्तृत पत्रक रखेगा जिसमें उस वर्ष के दौरान अथशेष राशि, लोक लेखा में प्रारंभिक शिक्षा कोष के तहत अंतरित राशि, उस वर्ष के दौरान किए गए व्यय, अगले वित्तीय वर्ष में उसे आगे ले जाने हेतु उपलब्ध निवल बकाया

राशि को दर्शाया जाएगा। भुगतान एवं लेखा कार्यालय लेखा विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास के माध्यम से सचिव, प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में पुनर्नामित) को प्रारंभिक शिक्षा कोष के तहत व्यय और अप्रयुक्त राशि को दर्शाया जाएगा।

(x) उपर्युक्त प्रावधान भारत सरकार की बजटीय प्रक्रिया के अधीन होंगे।

(xi) प्रारंभिक शिक्षा कोष से किया गया व्यय आंतरिक और सांविधिक लेखा परीक्षा के अधीन होगा।

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को जनसामान्य की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अनिता कौल
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 2006

No. 92-Pres/2006.—The President is pleased to award the President's Fire Service Medal for Gallantry to the undermentioned Officers and Personnel of Uttar Pradesh Fire Service:—

Shri Kamal Kumar Agarwal

Fire Station Officer

Shri Shiv Daras Prasad

Fire Station Second Officer

Shri Arvind Kumar Tyagi

Leading Fireman

Shri Baikunth Nath Sharma

Fireman

Shri Bijendra Kumar

Fireman

Shri Ram Babu

Fire Service Driver

Shri Kamal Kumar Agarwal, Fire Station Officer, with his team comprised of Sh. Shiv Daras Prasad, Fire Station Second Officer, Arvind Kumar Tyagi, Leading Fireman, Baikunth Nath Sharma, Fireman, Bijendra Kumar, Fireman and Ram Babu, Fire Service Driver rushed to Mudra Cold Storage, Kamalpur, Meerut, Uttar Pradesh on 04.10.2004 at about 09.40 hours in response to a distress call reporting ammonia gas leakage in the plant. On reaching the site, they observed thick clouds of ammonia gas overcasting the whole area causing suffocation to all onlookers and neighbouring population. It was reported that two workers of the factory were trapped inside the plant and were lying unconscious.

In absence of any protective appliances and masks, Shri Agarwal and his team entered the endangered gas filled areas, without losing any time, simply by spraying water and thus diluting the density of gas, ignoring their personal safety and rescued the two trapped unconscious persons even when they themselves were suffering from asphyxiation and irritation of the eyes for which subsequently they were all hospitalized.

In this incident S/Shri Kamal Kumar Agarwal, Fire Station Officer, Shiv Daras Prasad, Fire Station Second Officer, Arvind Kumar Tyagi, Leading Fireman, Baikunth Nath Sharma, Fireman, Bijendra Kumar, Fireman and Ram Babu, Fire Service Driver displayed tremendous presence of mind, conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of the highest order for the safety of life and properties of the citizens ignoring their own safety.

These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of President's Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5(a) w.e.f. 04.10.2004.

BARUN MITRA
Director

No. 93-Pres/2006.—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the undermentioned Officers and personnel of Manipur Fire Service :—

Shri Tomba Singh Athokpam
Sub-Officer

Shri Ibomcha Singh Moirangthem
Fireman

Shri Ibotombi Singh Takhelambam
Fireman

On 17.07.2005 at about 0433 hrs on receipt of a fire call informing breaking out of major fire in a four storied apartment building in Paona Bazar area of Imphal, the Fire Service team led by the Joint Director, Manipur Fire Service rushed to the site. On reaching the spot they observed a big towering inferno where all trapped inmates of the apartment building were crying for help and the main entrance of the building was blocked by fire. Thick smokes and obnoxious gases were emanating from the blazing building affecting the visibility too. After a quick survey, the fire fighting and rescue team comprised of Sh. Tomba Singh Athokpam, Sub-Officer, Sh. Ibomcha Singh Moirangthem, Fireman and Sh. Ibotombi Singh Takhelambam, Fireman, broke open the blocked door and entered the burning building without any protective appliances, ignoring their personal safety and rescued total 9 persons from different floors.

S/Shri Tomba Singh Athokpam, Sub-Officer, Ibomcha Singh Moirangthem, Fireman and Ibotombi Singh Takhelambam, Fireman, thus, displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

The award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5(a) w.e.f. 17.07.2005.

BARUN MITRA
Director

No. 94-Pres/2006.—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the undermentioned Officer :—

Shri Sudhir Kumar Biswal
Fireman-1375,
Orissa.

On 12.06.2005 at about 0035 hrs, Shri Sudhir Kumar Biswal, Fireman-1375 of Dhenkanal Fire Station, Orissa on receipt of a rescue call reached Siminai with his team and found a man in an inebriated condition had fallen into a abandoned deep dry well inhabited by deadly poisonous snakes. Shri Sudhir Kumar Biswal, Fireman ignoring his personal safety entered the well with the help of a rope and managed to rescue the victims with the help of his teammates who slowly pulled out both of them to safety.

Shri Sudhir Kumar Biswal, Fireman, thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

The award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5(a) w.e.f. 12.06.2005.

BARUN MITRA
Director

No. 95-Pres/2006.—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the undermentioned Officer :—

Shri Satish Chandra Behera
Fireman-1399
Orissa

On 29.09.2005 at about 11.45 Hrs. S.D.O., Telephone, Udala informed the local fire station that a woman named Smt. [redacted] B.S.N.L. Tower of the town threatening to jump and commit suicide if her demand for rehabilitation was not accepted by the Government. The fire service team including Fireman Sh. Satish Chandra Behera, rushed to the spot and found the B.S.N.L. tower had a straight ladder, with only two plates in between for foot-hold. Layout of phone cables on the ladder increased the hazards. Immediately, Shri Satish Chandra Behera, Fireman with tremendous courage and presence of mind gradually ascended the tower rendering psychological treatment to Smt. Susanti Murmu and thus gaining her confidence and ultimately persuaded the woman to cool down and finally managed to bring Smt. Susanti Murmu to the ground without any injury, thereby saving her life.

Shri Satish Chandra Behera, Fireman, thus, displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5(a) w.e.f. 29.09.2005.

BARUN MITRA
Director

No. 96-Pres/2006.—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the undermentioned Officer :—

Shri Muthaia Ayyarsamy
Divisional Officer
Tamil Nadu

On 26.12.2004 when the giant waves to tsunami had struck the coastal town Nagapattinam in Tamil Nadu, Shri Muthaia Ayyarsamy, Divisional Officer with his crew immediately rushed to the tsunami hit areas and rescued 9 children buried under wrecked houses and other 110 victims from other areas under the threats of lashing waves. He also recovered 75 dead bodies in the hostile conditions with his team ignoring their personal safety.

Shri Muthaia Ayyarsamy, Divisional Officer, thus, displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

The award is made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5(a) w.e.f. 26.12.2004.

BARUN MITRA
Director

MINISTRY OF STATISTICS & P. I.

New Delhi, 110001, the 30th August 2006

No. M-13011/1/96-Ad. IV.—Consequent to the setting up of the National Statistical Commission (NSC), vide Resolution No. A-11011/1/2005-Ad. I dated 1.6.2005, the NSC assumes all the functions being performed by the Governing Council of National Sample Survey Organisation (NSSO). The Governing Council of NSSO was set up vide Resolution No. DS/STS/4-69 dated 5.3.1970 and subsequent amendments. Government decide to dissolve the said Governing Council of the NSSO with effect from the date of this Resolution.

YASHODHARA VIJAYAN
Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi, the 17th August 2006

RESOLUTION

No. E-11015/3/2005-H.U.—The Government of India has decided to reconstitute Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Youth Affairs & Sports. The composition and functions etc. of the Hindi Salahkar Samiti will be as under :—

Composition

1. Minister of Youth Affairs & Sports — Chairman

Members nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

2. Sh. Hem Lal Murmu, M. P. (Lok Sabha) — Member
3. Sh. Kailash Baitha, M. P. (Lok Sabha) — Member
4. Sh. Nandi Yellaih, M. P. (Rajya Sabha) — Member
5. Sh. Raj Kumar Dhoot, M. P. (Rajya Sabha) — Member

Members nominated by Committee of Parliament on Official Language

6. Sh. Jai Prakash, M.P. (Lok Sabha) — Member
7. Sh. Gandhi Azad, M.P. (Rajya Sabha) — Member

Representative Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

8. Sh. Mohan Prakash Dubey, — Member
Asstt. Engineer 25/25, Sector-1,
Pushp Vihar, New Delhi-17.
Phone : 29564352

Akhil Bhartiya Hindi Sanstha/Organisation

9. Sh. Jai Ram Phagare, — Member
59, Suvidha Adhyapak Basahat,
Sahakar Nagar, No. 1 Pune-411009
Phone : 020-24223489

Non-Official members nominated by the Ministry

10. Sh. K. N. Tripathi, — Member
Chitralekha Bhawan, Kashi Nagar
Red Ma. Daltan Ganj,
Palamu, Jharkhand-8221010
Phone : 06562-223341
11. Sh. Kamaleshwar, — Member
116, Block-5, Erose Garden,
Suraj Kund Road,
Delhi Haryana Border
Phone : 95129-2512116
12. Sh. Mani Shankar Pandey, — Member
B-21/117, Maha Vir Colony,
Kamakha, Varanasi
Phone : 09336911265
13. Sh. Suresh Gupta, — Member
725, Sector 4, SBC Karnal, Haryana

Non-official members nominated by the Department of Official Language

14. Dr. Sudesh Chandra Biala, — Member
Srijan, 141-Panditwari,
Near Vasant Vihar, Dehradun,
Uttaranchal.
15. Sh. Rajesh Jain, — Member
1403, Godawari Building,
Sir Pochkhanwala Road,
Varli, Mumbai-18
16. Sh. Shadab Shabbir Patel — Member
601, Shabbri Apartment
14 Sherli Road,
Bandra (West)
Mumbai-400050

Officials of Deptt. of O.L.

17. Secretary, Deptt. of Official Language — Member
& Hindi Advisor of Govt. of India,
Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi
18. Joint Secretary, Deptt. of Official — Member
Language Lok Nayak Bhavan, Khan
Market, New Delhi

Members of Ministry of Youth Affairs & Sports and its Subordinate offices

19. Secretary, Ministry of Youth Affairs — Member
& Sports
20. Joint Secretary (SP), Min. of Youth — Member
Affairs & Sports
21. Joint Secretary (YA/Admn./Hindi), — Member-
Min. of Youth Affairs & Sports Secretary
22. Director General, Sports Authority of — Member
India, New Delhi
23. Director General, Nehru Yuva Kendra — Member
Sangthan, Indira Gandhi Indoor
Stadium, New Delhi
24. Vice-Chancellor, Lakshmibai National — Member
Institute of Physical Education,
(Deemed University)
Shakti Nagar, Gwalior (M.P.)
25. Programme Advisor, National Service — Member
Scheme, Shastri Bhawan, New Delhi.
26. Director, Rajiv Gandhi National — Member
Institute of Youth Development,
Bhimanthangal Shri Perambudur (TN)

Functions

The main function of the Committee is to render to advise the Ministry of Youth Affairs and Sports in regard to implementation of the provisions relating to Official Language as given in the Constitution of India, the Official Language Act and Rules and the policy decisions and directions of the Kendriya Hindi Samiti and the Department of Official Language in relating to Official Language and also regard to progressive use of Hindi in Official Work of Ministry, its Subordinate offices and Authonomous bodies etc under its control.

Tenure

The tenure of the Committee shall ordinarily be three years from the date of its composition provided that :

(a) A member, who is Member of Parliament, does not cease to be a Member of Parliament;

(b) Ex-Officio Members of the Committee shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Committee;

(c) If a vacancy arises on the Committee due to death etc. or resignation of the member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual tenure of three years.

General

(1) The Headquarter of the Committee shall be at New Delhi.

Travelling and other allowances

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti as contained in the guidelines issued by the Department of Official Language vide their O.M. No. II/20034/4/86-OL (A-2) dated 22.1.1987 and as per prescribed rates and rules as amended by Government of India from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to :—

All members, All Ministries and Departments of the Government of India. All State Governments, UTs Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Planning Commission, Controller and Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenues as well as Subordinate offices & Autonomous bodies etc. under the control of Ministry of Youth Affairs & Sports.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SAILESH
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 30th August 2006

No. F. 9-21/2005-U.3 (A)—

In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declare the MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai consisting of two constituent medical colleges i. e. i) Mahatma Gandhi Mission's Medical College, Navi Mumbai (Maharashtra) and ii) Mahatma Gandhi Mission's Medical College, Aurangabad (Maharashtra) as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act, provisionally, for a period of five years, from the date MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai disaffiliates its Mahatma Gandhi Mission's Medical College, Navi Mumbai from Maharashtra University of Health Sciences, Nasik for its under graduate courses and from University of Mumbai for its post graduate courses and disaffiliates its Mahatma Gandhi Mission's Medical College, Aurangabad (Maharashtra) from Maharashtra University of Health Sciences, Nasik for its under graduate courses and from Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad for its post graduate courses and subject to conditions mentioned at S. No. 7 of the endorsement of this notification. This declaration is also subject to review by a Review Committee to be appointed by the University Grants Commission (UGC).

2. Government of India or the University Grants Commission will not provide any Plan or Non Plan grants to the MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai or any of its constituent institutions.

SUNIL KUMAR
Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY)

New Delhi, the 30th August 2006

RESOLUTION

Subject: Setting up of Prarambhik Shiksha Kosh (PSK)

I. Genesis of "Prarambhik Shiksha Kosh"

No. 1-11/2004-EE-4.—

The Constitution (Eighty Sixth Amendment) Act, 2002, notified on 13th December 2002, seeks to make "provision of free and compulsory education to children in the 6-14 years age group"- hitherto a Directive Principle of State Policy – a Fundamental Right.

The said Amendment Act seeks to insert, inter alia, the following new Article 21 A in Part III ["Fundamental Rights"] of the Constitution:

"21 A. Right to Education

The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine."

2. The Constitutional Amendment clearly mandates the universalization of elementary education, as envisaged in the National Policy on Education 1968, 1986 (as modified in 1992) and the National Plan of Action 1992. The main vehicles for this universalization are Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) and the National Programme of Nutritional Support to Primary Education [Mid-Day Meal Scheme (MDM)].

3. In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirements to finance the programmes for universalization of elementary education, the Finance (No.2) Act, 2004, (on 8.7.2004) levied an Education Cess @ 2% on Income Tax, Excise Duty, Customs Duty & Service Tax "to fulfill the commitment of the Government to provide and finance universalized quality basic education".

4. The Government has decided to create a non-lapsable fund called the Prarambhik Shiksha Kosh in the following manner:

- Elementary Education Sector should, as a matter of Constitutional obligation, be assured Annual Plan allocations in a need-based manner.
- A Prarambhik Shiksha Kosh (PSK) be created in the Public Account of India, and all proceeds of the Education Cess be credited into it, with minimum possible time lag.
- The account of the Prarambhik Shiksha Kosh be maintained by the Ministry of Human Resource Development, Department of Elementary Education & Literacy (renamed as Department of School Education & Literacy) and the amount available therein be non-lapsable; and
- The proceeds of the Education Cess credited to Prarambhik Shiksha Kosh be spent on

    1. Sarva Shiksha Abhiyan and
    2. Mid-Day Meal Scheme.

  In any financial year, the expenditure on these schemes shall be initially incurred from the Other Budgetary Resources (OBR) component of the Plan allocation and the expenditure will be financed from the Prarambhik Shiksha Kosh only after the OBR is exhausted.

The Government has also decided that savings in respect of the North-Eastern States relating to Elementary Education (Sarva Shiksha Abhiyan and Mid-Day Meal Scheme) shall be credited to the Non-Lapsable Central Pool of Resources to be earmarked for spending on Sarva Shiksha Abhiyan and Mid-Day Meal Scheme.

II. Creation of Prarambhik Shiksha Kosh

5. An order constituting Prarambhik Shiksha Kosh was issued on 14th November 2005 by the erstwhile Department of Elementary Education and Literacy under File No.1-11/2004-EE-4.

6. A provision of Rs.8746 crore for the initial transfer to the newly created Prarambhik Shiksha Kosh has been made in the Union Budget 2006-07 against estimated receipts of Education Cess. Each year after exhausting the funds provided by way of Gross Budgetary Support for the schemes of Sarva Shiksha Abhiyan and Mid-Day Meal, subsequent expenditure on these schemes will be financed from Prarambhik Shiksha Kosh. In 2006-07 B.E. provisions for this purpose recoupable from the Prarambhik Shiksha Kosh are

Rs.5831 crores (Sarva Shiksha Abhiyan) and Rs.2915 crores (Mid-Day Meal Scheme) respectively.

III. Principles governing Utilization of funds under Prarambhik Shiksha Kosh

7. i) Prarambhik Shiksha Kosh shall be maintained as a Reserve Fund in the non-interest bearing section of the Public Account of India. The account thereof shall be maintained by the Ministry of Human Resource Development, Department of Elementary Education & Literacy (renamed as Department of School Education & Literacy) and amount available therein shall be non lapsable;

ii) All proceeds of the Education Cess shall be credited into Prarambhik Shiksha Kosh after obtaining due approval of the Parliament through Demands for Grants;

iii) The amounts in the Prarambhik Shiksha Kosh shall be utilized for a) Sarva Shiksha Abhiyan and b) Mid-Day Meal Scheme each year after exhausting the Gross Budgetary Support (OBR) allocated by the Planning Commission for the above-mentioned two schemes.

IV. Periodicity and Modality of transfer of funds from Consolidated Fund of India to Prarambhik Shiksha Kosh

8. (i). The Education Cess is a tax revenue and being levied/collected since 1.10.2004, in accordance with Finance (No.2) Act, 2004, and being booked in Government Account under a distinct minor head below the following Major Heads: -

1. 0020—Corporation Tax
2. 0021—Taxes on income other than Corporation Tax
3. 0037—Customs
4. 0038—Union Excise Duties
5. 0044—Service Tax

A Minor Head "127-Prarambhik Shiksha Kosh" under the Major Head –"8229- Development and Welfare Funds" in the non-interest bearing section of Public Account of India has been opened for crediting the proceeds of the 'Education Cess'.

(ii). Education Cess levied and collected by the Government is being accounted for in the Consolidated Fund of India by the Principal Chief Controllers of Accounts (Pr.CCA), CBDT and CBEC. The account of Prarambhik Shiksha Kosh is being maintained by the Chief Controller of Accounts (CCA), Ministry of Human Resource Development; therefore information regarding

receipts on account of Education Cess shall be obtained by the CCA, Ministry of Human Resource Development from Principal Chief Controllers of Accounts, CBDT and CBEC, Department of Revenue. This information will enable the Ministry of Human Resource Development to make suitable budget provisions under the "Major Head 2202-General Education, Sub Major Head 01-Elementary Education, Minor Head 797-Transfer to Reserve Fund/Deposit Account, Sub Head 01-Transfer to Prarambhik Shiksha Kosh, Object Head 63-Inter Account Transfer", in the Detailed Demand for Grants of the Department of Elementary Education and Literacy (renamed as Department of School Education & Literacy) to facilitate the transfer of proceeds of Education Cess to Prarambhik Shiksha Kosh .

(iii). Updating of information relating to actual cess receipts against estimates projected will also be ascertained directly by CCA, Ministry of Human Resource Development from Principal Chief Controllers of Accounts, CBDT and CBEC, Department of Revenue from time to time as deemed necessary.

(iv). The PAO (Education) shall periodically transfer the budgeted amount available under

Major Head 2202-General Education
Sub Major Head 01-Elementary Education'
Minor Head 797-Transfer to Reserve Fund/Deposit account'
Sub Head 01- Transfer to Prarambhik Shiksha Kosh,
Object Head 63-Inter Account Transfer

to

Major Head 8229—Development and Welfare Fund
Minor Head 127-Prarambhik Shiksha Kosh

by book adjustment through transfer entry by debiting the former head of account and crediting the latter during the financial year. This will be done on the receipt of the necessary administrative sanction from the Department of Elementary Education and Literacy (renamed as Department of School Education & Literacy).

(v). The Department of Elementary Education and Literacy (renamed as Department of School Education & Literacy) shall make necessary budget provisions in the Detailed Demand for Grants under relevant functional Major Heads for Sarva Shiksha Abhiyan and National Programme of Nutritional Support to Primary Education (Mid-Day-Meal Scheme) for the component to be funded from Prarambhik Shiksha Kosh. The relevant functional heads for this purpose are detailed below: -

a) For direct releases:

Major Head 2202- General Education

Sub Major Head 01-Elementary Education

Minor Head 111-Sarva Shiksha Abhiyan

Or

Minor Head 112- National Programme of Nutritional Support to Primary Education

b) For releases to State Governments:

Major Head 3601 - Grants-in-Aid to State Governments

Sub Major Head 04- Grants for Centrally sponsored Plan Schemes

Minor Head 186- Elementary Education –Sarva Shiksha Abhiyan

Or

Minor Head 187- Elementary Education- National Programme of Nutritional Support to Primary Education

c) For releases to Governments of Union Territories with Legislature:

Major Head 3602- Grants-in-Aid to Union Territory Governments

Sub Major Head 04- Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes

Minor Head 186- Elementary Education-Sarva Shiksha Abhiyan

Or

Minor Head 187-Elementary Education- National Programme of Nutritional Support to Primary Education

(vi). Simultaneously, an equal budget provision to deduct recoveries to the extent of funds to be finally met from Prarambhik Shiksha Kosh will also be provided in the Detailed Demand for Grants under the following heads of accounts-

a) Against direct releases:

Major Head 2202-General Education

Sub Major Head 01- Elementary Education

Minor Head 906-Deduct Amount met from Prarambhik Shiksha Kosh for Sarva Shiksha Abhiyan

Or

Minor Head 907-Deduct Amount met from Prarambhik Shiksha Kosh for National Programme of Nutritional Support to Primary Education

b) Against releases made to State Governments:

Major Head 3601-Grants-in-Aid to State Governments

Sub Major Head 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes

Minor Head 906- Deduct Amount met from Prarambhik Shiksha Kosh for Sarva Shiksha Abhiyan

Or

Minor Head 907- Deduct Amount met from Prarambhik Shiksha Kosh for National Programme of Nutritional Support to Primary Education

c) Against releases made to Governments of Union Territories with Legislature

Major Head 3602 - Grants-in-Aid to Union Territory Governments

Sub Major Head 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes

Minor Head 906-Deduct Amount met from Prarambhik Shiksha Kosh for Sarva Shiksha Abhiyan

Or

Minor Head 907-Deduct Amount met from Prarambhik Shiksha Kosh for National Programme of Nutritional Support to Primary Education

(vii). Before closing of the accounts for the year, the entire expenditure incurred out of the Prarambhik Shiksha Kosh under the functional heads will be adjusted by recoupment from the head mentioned below: -

Major Head 8229- Development and Welfare Fund
Minor Head 127-Prarambhik Shiksha Kosh

in the Public Account of India by per minus debit to the Minor Head "906 or 907-Deduct amount met from PSK" below the relevant functional head mentioned in (vi) above where the expenditure was initially booked, by book adjustment through Transfer Entry to be prepared by PAO (Education), subject to the provision under 8 (iv).

(viii). The Department of Elementary Education and Literacy (renamed as Department of School Education & Literacy) shall issue necessary administrative sanction of the actual expenditure from Prarambhik Shiksha Kosh so incurred after necessary reconciliation with Pay and Accounts Officer

(Education) with reference to their initial subsidiary records to be maintained by them. The expenditure figures as appearing in the books of PAO shall be final.

(ix). The PAO (Education) under CCA, Human Resource Development shall maintain the Broadsheet of Prarambhik Shiksha Kosh (PSK) indicating the opening balance, amount transferred under the Prarambhik Shiksha Kosh in Public Account during the year, expenditure incurred during the year, net balance available for carry forward the same to the next financial year. The PAO shall submit the statement of accounts, indicating the expenditure and un-utilized amounts under Prarambhik Shiksha Kosh to the Secretary, Department of Elementary Education & Literacy (renamed as Department of School Education & Literacy) through Financial Advisor, Human Resource Development after the close of the financial year.

(x). The above provisions shall be subject to the budgetary procedure of the Government of India.

(xi). The expenditure incurred out of the Prarambhik Shiksha Kosh shall be subject to internal and statutory Audit.

ORDERED that a copy of this Notification be sent to all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Notification be published in the Gazettee of India for general information.

ANITA KAUL
Jt. Secy.

प्रबन्धक,अ भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006